न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 13/2017 निर्णय दिनांक 15.02.2018

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर **(सायल)**

बनाम

चावली देवी पुत्री हजारीराम पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का खारबारा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल चावली देवी पुत्री हजारीराम पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ़ ने कृषि सम्वत् 2074 में चक 3 डी.एल के मुरब्बा नम्बर 169/49 के किला नम्बर 21 = 0.02, 22 = 0.02, 23= 0.02, 24 = 0.02, 25 = 0.02 कुल 0.10 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर तारबन्दी व मेड बनाकर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहा । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत पी. 14 मे उक्त रकबे पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश का अंकन किया गया है। माननीय न्यायालय मे विचाराधीन वाद संख्या 7810 वर्ष 2008 अनवान आसाराम बनाम खेमाराम की सत्यापित प्रतिलिपि का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन उपरान्त यह तथ्य सामने आये है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.07.2008 की पालना आगामी आदेश तक एवं निर्णय मे अंकित वादग्रस्त आराजी की मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति रखी जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जो अतिक्रमित भूमि पर प्रभावी नही है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड़ का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व का 50 गुना 44/- अक्षरे चवालीस रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। भू.अ.निरीक्षक, पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि तारबन्दी व मेड को हटाकर गैरमुमकिन रास्ते को खुलवाकर गैरसायल को बेदखल कर फर्द मौका रिपोर्ट मय बेदखली प्रस्तुत करे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार राव)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छत्तरगढ़ (बीकानेर)